नृशंस हत्या के अभियोग में वांछित/25 हजार का इनामिया मुख्य आरोपी सहित 02 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में आलाकत्ल कुल्हाडी व असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री शिवहरी मीना के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नैपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी गरौठा श्रीमती आभा सिंह के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/ इनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 30.06.21 की रात्रि को थानाध्यक्ष श्री त्रदीप सिहं पुलिस टीम थाना एरच मय प्रभारी सर्विलांस सेल झांसी श्री प्रेमसागर, प्रभारी एसओजी श्री राजेश पाल सिहं मय एसओजी टीम के द्वारा मु0अ0सं0 102/2021 धारा 302/506 भा.द.वि से सम्बन्धित नामजद वांछित/ 25000/- का इनामिया मुख्य अभियुक्त 1. रामप्रताप उर्फ पप्पू पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र 36 बर्ष नि0ग्राम गोकुल थाना एरच जिला झाँसी व अभियुक्त गण 1. हिम्मत सिह उर्फ कल्लू पाल पुत्र लाखन पाल, 2. संजय पुत्र महेन्द्र सिंह नि0ग्राम गोकुल थाना एरच जिला झाँसी की तलाश के क्रम में ग्राम खडैनी से गुरसराय की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित श्रद्धा कन्या इण्टर कालेज ग्राम खडैनी के सामने चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दो मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियो को रोका गया बजाय रूकने के वह भागने लगे तथा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग की जिसमें अभियुक्त रामप्रताप उर्फ पप्पू को दाहिने पैर में गोली लग गयी तथा अभियुक्त हिम्मत उर्फ कल्लू पाल को मौके से आलाकत्ल एक तमंचा 315 बोर 02 कारतूस 315 बोर जिन्दा व एक नाल मे फंसा हुआ खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त गण की निशादेही पर मु0अ0सं0 102/2021 धारा 302/506 भा.द.वि से सम्बन्धित आलाकत्ल कुल्हाडी बरामद की गई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.06.2021 को नेपाल सिंह पुत्र स्व0 श्याम सिंह उम्र करीब 65 वर्ष नि0गण ग्राम गोकुल एरच जिला झाँसी की कुल्हाडी से काटकर हत्या कर दी गयी थी। मृतक नेपाल सिहं ने वर्ष 2012 में अभियुक्त रामप्रताप उर्फ पप्पू उपरोक्त के चाचा सुरेन्द्र सिंह की हत्या की थी जिसमें आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। दिनांक 01.06.2021 को जेल से पैरोल पर छूट कर ग्राम गोकुल मे रह रहे थे तभी से रामप्रताप अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के लिये मौके की तलाश मे था कि दिनांक 27.06.2021 को मौका मिलते ही नेपाल सिंह की हत्या कर दी थी। अभियुक्त रामप्रताप उर्फ पप्पू पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000/-रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

- रामप्रताप उर्फ पप्पू पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम गोकुल थाना एरच जिला झाँसी उम्र 36 वर्ष
- हिम्मत सिंह उर्फ कल्लू पाल पुत्र लाखन पाल नि0 ग्राम गोकुल थाना एरच जिला झांसी उम्र करीब 18 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- एक अदद तमंचा 315 बोर 02 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा व एक अदद नाल मे फंसा हुआ खोखा कारतूस
- आलाकत्ल एक अदद कुल्हाडी

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम का विवरणः-

- श्री त्रदीप सिंह थानाध्यक्ष एरच झाँसी मय टीम उ0नि0 पी0एल0 प्रजापति, उ0नि0 आदेश कुमार, उ0नि0 त्रिभुवन सिंह, का0 665 सनीश कुमार, का0 1089 अंशुल कुमार, का0 आलोक कुमार, का0 756 आशीष, का0 1316 राहुल कुमार, का0 अजीत सिंह, का0 नीरज कुमार, का0 चालक राघवेन्द्र थाना एरच झाँसी
- उ0नि0 राजेश पाल सिंह प्रभारी एसओजी झाँसी, उ0नि0 प्रेमसागर प्रभारी सर्विलांस झाँसी मय टीम हे0का0 कलीमखान, का0 पद्मम गोस्वामी, एसओजी टीम झाँसी